न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या —84 / 2025

उनवान

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1.सहिदा पत्नी आसन खां जाति मुसलमान निवासी खारिया राठौडान तहसील रामसर जिला बाडमेर।

1.आलमखां पुत्र अचारखां
2.पांधीखां पुत्र अचारखां
3.सोकतखां पुत्र निहालखां
4.हाकम पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी नोहडियों की बस्ती खारिया राठौडान तहसील रामसर जिला बाडमेर।
5.रामसर / उपपंजीयक रामसर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 84 / 2025 :— **निर्णय** :— दिनांक :—.08.05.2026

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खारिया राठौडान पटवार मण्डल चाडी तहसील रामसर के खसरा संख्या 208 रकबा 6.4750 हेक्टैयर किस्म बा.सो. में वादी एवं प्रतिवादीगण की आयी हुई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक **04.12.2025** को जरिये अधिवक्ता श्री कंवराज बैनिवाल द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर दस्तावेज शामिल पत्रावली करनें बाबत प्रस्तुत किया गया। एंव तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक / भू.अ. / 2026 / 1258 दिनांक 05.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को दिनांक 07.05.2026 को प्राप्त हुआ जिसे रेकर्ड पर लेकर शामील मिशल किया गया । विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जानें का निवेदन किया। कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.05.2026 के अनुसार पक्षकारानों की भूमि विभाजन किया जावें। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर दस्तावेज शामिल पत्रावली करनें बाबत को अस्वीकार करते हुये पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एंव मौखिक साक्ष्य तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा खारिया राठौडान पटवार मण्डल चाडी तहसील रामसर के खसरा संख्या 208 रकबा 6.4750 हेक्टैयर किस्म बा.सो. भूमि में सलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में निम्न विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया।

क्र. स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर	लगान	किस्म	बंरग
1.	1.सोकतखां पुत्र निहालखां जाति मुसलमान सा. नोहडियों की बस्ती खातेदार	208	0.9518	0.05	बा.सो.	काला
		[illegible]	0.9518	0.05	बा.सो.	
2.	1.आलमखां पुत्र अचारखां 1/2 2. पांधीखां पुत्र अचारखां 1/2 जाति मुसलमान सा. नोहडियों की बस्ती खातेदार	[illegible]	[illegible]	0.05	बा.सो.	हरा
		[illegible]	0.9518	0.05	बा.सो.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:40:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

	1.सहिदा पत्नी आसनखां जाति मुसलमान सा. नोहडियों की बस्ती खातेदार	208	3.5533	0.18	बा.सो.	नारंगी
		1	**3.5533**	**0.18**	**बा.सो.**	
.	1.हाकम पुत्र इब्राहिम कौम मुसलमान सा.नोहडियों की बस्ती खातेदार	208	0.8883	0.05	बा.सो.	नीला
		1	**0.8883**	**0.05**	**बा.सो.**	
5.	1.आलम पुत्र आचार 3/40 2.पांधी पुत्र आचारखां 3/40 3.सोकतखां पुत्र निहालखां 3/20 4.हाकम पुत्र इब्राहिम 7/50 सा. नोहडियों की बस्ती 5.सहिदा पत्नी आसनखां 14/25 कौम मुसलमान सा.नोहडियों की बस्ती खातेदार	208	0.1298	–	बा.सो.	गुलाबी
		1	**0.1298**	**–**	**बा.सो.**	

उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक विभाजन के आदेश की पालना में प्रेषित किया हैं उक्त दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई उस पर मनन किया गया । वादीगण वकील वादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहिर की, एवं वाद अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी करनें का निवेदन किया। अतः पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस अनुसार अंतिम विभाजन करनें के आदेश पारित किये जाते हैं । तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तुत विभाजन मुतिब हो तदनानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा शीट में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तदनूसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) रामसर

सहायक कलेक्टर रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:40:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner